न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/238/2018

उनवान

1. गोपी पिता भैरू गुर्जर निवासी सेहणुन्दा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा
2. श्रीमती मांगी देवी पत्नी बालूराम गुर्जर निवासी सुनारिया तहसील करेडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. बालादान पिता नृसिंहदान निवासी सेहणुन्दा तहसील करेडा जिला भीलवाडा
2. शंभूसिंह पिता करणीदान निवासी सेहणुन्दा तहसील करेडा
3. दुर्गादान पिता विजयदान निवासी सेहणुन्दा तहसील करेडा
4. मंदरूप पिता लच्छु गुर्जर निवासी सुनारिया तहसील करेडा
5. सुवा पिता लच्छु गुर्जर निवासी सुनारिया तहसील करेडा
6. रोशन पिता लच्छु गुर्जर निवासी सुनारिया तहसील करेडा जिला भीलवाडा .....रेस्पोडेण्ट्स/प्रार्थीगण
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, करेडा के
प्रकरण संख्या 204/2017 निर्णय दिनांक 27.11.2017

अधिवक्तागण :–

1. श्री दिनेश सिसोदिया , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री मुकेश जैन,अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 1 से 6
3. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 26.9.2019

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ग्राम हीरा का बाडिया , पटवार हल्का सेहणुन्दा, तहसील करेडा में खातेदारी की आराजी नम्बर 1889, 1894, 1895 व 1897 कुल किता 4 कुल रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त आराजी में आने जाने का एकमात्र कदीमी रास्ता ग्राम सेहणुन्दा से होकर आराजी नम्बर 1870 किस्म गैर मुमकिन रास्ता से होकर आराजी नम्बर 1896 की उत्तरी मेड से होते हुए आराजी नम्बर 1896 की पूर्वी मेड से होकर प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी में आते जाते है। प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजियात में आने जाने का एकमात्र रास्ता उपरोक्त रास्ता ही है। प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त आराजियात में सदैव से उक्त रासते से होकर ही अपने कृषि उपकरणों, संज, बैल, ट्रेक्टर सहित आ जा रहे हैं लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से विपक्षीगण की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है और वे आये दिन आराजी नम्बर 1896 में अवस्थित रास्ते में अवरोध पैदा कर रहे हैं तथा दिनांक 15.7.2007 को भी आने जाने में बाधा उत्पन्न की । उक्त वादग्रस्त रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः आराजी नम्बर 1896 पर 30 फिट चौडा रास्ता कायम करने की स्वीकृति प्रदान करावें।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण हाजा के नोटिस प्रार्थीगण पर तामील होते ही प्रार्थीगण ने अधिवक्ता नियुक्त कर दिया था। नियुक्त अधिवक्ता ने प्रार्थीगण को आश्वासन दिया कि प्रकरण में जब आवश्यकता होगी तब प्रार्थीगण को सूचना देकर बुलवा लेंगे। इस पर प्रार्थीगण ने अधिवक्ता पर सद्भाविक रूप से विश्वास कर लिया । अधिवक्ता ने प्रार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय की कोई जानकारी नहीं दी । दिनांक 20.6.2018 को जब प्रार्थीगण अपीलार्थीगण को सर्वप्रथम जानकारी विपक्षीगण द्वारा बताये जाने पर हुई इस पर उसी दिन नकल लेने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । दिनांक 22.6.2018 को नकल प्राप्त होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व विधि की सम्यक प्रकिया का निर्वहन ही नहीं किया है तथा न ही अपीलाण्ट/विपक्षीगण को कोई जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर ही प्रदान किया है । इस प्रकार नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाण्ट/विपक्षीगण पर ज्योंहि रेस्पोडेण्ट/प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के नोटिस की तामील हुई त्योंहि दिनांक 20.11.2017 को अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने अधिकार पत्र प्रस्तुत कर दिया तथा जवाब हेतु अवसर चाहा किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा

प्रबन्ध अधिकारी एवं
प्रदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के उपरान्त भी अपनी आदेशिका में जवाब प्रस्तुत करने का तथ्य अपने स्तर पर ही गलत तरीके से अंकित कर दिया तथा तारीख पेशी दिनांक 27.11.2017 अर्थात मात्र 7 दिन की कायम कर दी और दिनांक 27.11.2017 कोभी बिना अपीलाण्ट का जवाब प्रस्तुत हुए ही अपने स्तर पर बहस समायत होना बताकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो सर्वथा गलत होकर अवैध है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि जो मौका रिपोर्ट दिनांक 12.10.2017 की प्रस्तुत हुई है वह भी विधि के तहत समक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं की गई तथा न ही उक्त मौका रिपोर्ट अपीलाण्ट विपक्षीगण को समुचित जानकारी देते हुए ही तैयार की गई अर्थात अपीलाण्ट/विपक्षीगण की अनुपस्थिति में एवं बिना उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये रेस्पोडेण्ट/प्रार्थीगण के ईशारे पर उक्त तथाकथित रिपोर्ट तैयार की गई है । जो कानूनन नहीं पढी जा सकती है। जब अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण को दिनांक 2.11.2017 कोदर्ज रजिस्टर किया गया तो फिर उससे पूर्व ही दिनांक 12.10.2017 को को अधिनस्थ न्यायालय किस प्रकार एवं कैसे मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत आदेश पारित कर सकता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय की कार्यशैली निष्पक्ष नहीं रही है बल्कि लापरवाही पूर्ण रही है। दिनांक 12.10.2017 को अधिनस्थ न्यायालय में कोई प्रार्थना पत्र ही रेस्पोडेण्ट/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था ऐसी हालत में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथाकथित मौका रिपोर्ट जो सर्वथा फर्जी एवं कूटरचित तरीके से संभवताया तैयार की गई , के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भारी विधिक भूल की गई है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि मौका रिपोर्ट दिनांक 11.11.2017 पटवार हल्का द्वारा तैयार की गई है जो सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं किये जाने के कारण कानूनन किसी कदर साक्ष्य में देखी व पढी नहीं जा सकती है । उक्त मौका रिपोर्ट में रेस्पोडेण्ट/प्रार्थीगण की आराजी में आने–जाने का वैकल्पिक सरल सुगम रास्ता आराजी संख्या 1870 व 1899 की उत्तरी मेड से होते हुए आराजी नम्बर 1897 रेस्पोडेण्ट/प्रार्थीगण की आराजियात है और विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहॉ पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो वहॉ पर धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नया रास्ता कदापि कायम नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली से वैकल्पिक रास्ता होने का बिन्दु पूर्णतया प्रमाणित हुआ है। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस बाबत तनिक भी विवेचन नहीं किया है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि जो प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्टगण/प्रार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है उसमें यह तथ्य अंकित किया गया कि रेस्पोडेण्ट/प्रार्थीगण की आराजी में आने–जाने का एकमात्र कदिमी रास्ता हाल आराजी नम्बर1870 गैर मुमकिनरास्ता से होकर आराजी नम्बर 1896 की उत्तरी मेड से होते हुए जाते हैं और प्रार्थीगण उक्त रास्ते का सदैव सेउपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं किन्तु दिनांक 15.7.2017 कोआने जाने में अपीलाण्ट विपक्षीगण ने बाधा उत्पन्न कर दी इस कारण आराजी संख्या 1896 में 30 फिट चौडा रास्ता दिलाया जावे, उक्त अभिवचनों की परिधि में यह प्रार्थना पत्र किसी कदर धारा 251 ए की परिधि में न आकर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि में आता है और धारा 251 के प्रार्थना पत्र को सुनवाई का अधिकार तहसीलदार/ग्राम पंचायत को है। इस प्रकार प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होते हुए भी अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करतेहुए अपीलाण्ट विपक्षीगण को जवाब दावा प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जावे।

10. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपील अपीलाण्ट्स खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

11. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 2.11.2017 को दर्ज रजिस्टर किया गया है। आगामी पेशी दिनांक 20.11.2017 को विपक्षीगण/अपीलाण्ट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने का अंकन किया गया है। जबकि अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण का कथन है कि अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु उनके अधिवक्ता द्वारा समय चाहा गया था। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब दावा संलग्न नहीं है। जब अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब दावा ही संलग्न नहीं किया गया उसके बावजूद आदेशिका दिनांक 20.11.2017 में जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने का अंकन निश्चित तौर पर लापरवाही किये जाने का द्योतक है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 20.11.2017 अनुसार तहसीलदार की अपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त होने से पुनः रिपोर्ट मंगवाई जाने का अंकन करते हुए प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.11.2017 नियत की गई है। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलाण्ट/विपक्षीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जबकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज के आधार पर निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित होता है।

12. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 11.11. 2017 की पटवार हल्का सेहणुदा की मौका रिपोर्ट संलग्न है। जबकि धारा 69 के प्रावधानों के तहत गिरदावर से नीचे की रेंक के अधिकारी से मौका रिपोर्ट तलब नहीं की जा सकती है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दूसरी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । उक्त रिपोर्ट पटवारीहल्का सेहणुदा एंवं भू अभिलेख द्वारा तैयार की गई है। उक्त रिपोर्ट तैयार करने हेतु तहसीलदार करेडा द्वारा दिनांक 8.11.2017 को आदेशित किया गया है । जबकि इसकी पालना रिपोर्ट आदेश दिये जाने की तारीख दिनांक 8.11.2017 से पूर्व ही 12.10.2017 को तैयार किया जाना अंकित किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयारकरने केउपरान्त पटवारी हल्का द्वारा भी उक्त रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर के साथ दिनांक 12.10.2017 अंकित की गई है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा आदेशित किये जाने से पूर्व ही उक्त रिपोर्ट तैयार किया जाना प्रथमदृष्टया प्रकट होता है । जिससे यह रिपोर्ट संतोषप्रद समरी इन्क्वायरी रिपोर्ट माना जाना उचित नहीं है।

13. उक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । उक्त रिपोर्ट में जो नजरी नक्शा दर्शाया गया है । उक्त नजरी नक्शे के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अनुसार प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने अपनी आराजी नम्बर 1897 पर पहूँचने के लिए आराजी नम्बर1896 की पूर्वी मेर पर होकर उसके उपरान्त दक्षिणी मेर पर होते हुए पर होकर आराजी नम्बर 1897 में प्रवेश के लिए प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है। जबकि प्रार्थीगण को उनकी आराजी तक पहूँचने के लिए गैर मुमकिन रास्ता नम्बर 1870 से विपक्षीगण/अपीलाण्ट की आराजी नम्बर 1896 की पश्चिमी दक्षिणी मेड पर से रास्ता दिये जाने की स्थिति में रास्ता लघुतम होना प्रकट होता है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत समरी इन्क्वायरी के तहत रास्ते के आत्यंतिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने एवं लघुत्तम रास्ता दिया जाने के बिन्दु को देखा जाना होता है। अपीलाधीन प्रकरण में लघुत्तम रास्ते को ध्यान में नहीं रखकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है।

14. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा चाही गई समरी इन्क्वायरी में धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ते के आत्यंतिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने एवं लघुत्तम रास्ता उपलब्ध होने के बिन्दु को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है। उक्त रिपोर्ट सुविधाजनक स्थिति को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलाण्ट/विपक्षीगण को भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। एवं अपूर्ण तथा अस्पष्ट मौका रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

15. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.11.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण में अपीलाण्ट /विपक्षीगण का जवाब दावा प्रस्तुति करने के उपरान्त विधिवत समरी

ए. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

इन्क्वायरी किये जाने के उपरान्त उपलब्ध रिपोर्ट के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.11.19 को उपस्थित रहे ।

16. निर्णय आज दिनांक 26.9.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

26/9/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा